

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 34.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंग्डन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक उनका संबंध फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर/डिस्पेंसर क्लर्क के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में भेपजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, भेपजज्ञ भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड / ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेपजज्ञ	12 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसूचितव्यय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम,

				<p>मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक:</p> <p>I. 10+2 विज्ञान विषयों सहित ;</p> <p>II. भेपजी में दो वर्ष का डिप्लोमा ; और</p> <p>III. राज्य भेपजी परिपद से रजिस्ट्रीकरण हो</p> <p>टिप्पण 1: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> <p>टिप्पण 2: राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसे उसकी परिबीक्षा अवधि के दौरान हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना होगा।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1 अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष 2 विभागाध्यक्ष, भेषजगुण विभाग, डा. रामनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य 3 निदेशक या उपनिदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग का भारसाधक - सदस्य 4 उपनिदेशक प्रशासन, डा. राममनोहर लोहिया, अस्पताल नई दिल्ली - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 11018/10/2005-आर आर (एम एच-II)]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2016

G.S.R. 34.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the post of Pharmacist/Dispenser/Dispenser Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Pharmacist Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person .-

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

